

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकों द्वारा गरीब लोगों को दिये जाने वाले ऋणों का वितरण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करेगी ताकि किसानों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां न हों?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० देवी प्रसाद पाल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत निम्नलिखित ऋण दिए जा रहे हैं:

- (1) एकीकृत खाद्यान्न विकास एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम सहित फसल ऋण;
- (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी);
- (3) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई);
- (4) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एसएलआरएस) सहित विशेष संघटक योजना (एससीपी);
- (5) विप्रेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना

(ख) तथा (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें ऋण वितरण में कटाचार की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल एवं उदार बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश हैं: (1) 25,000/- रुपये तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्र पन्द्रह दिव के भीतर तथा 25,000/- रुपये से अधिक के ऋण आवेदन पत्र 8 से 9 हफ्तों के बीच निपटा दिए जाने चाहिए; (2) कमजोर वर्गों से प्राप्त होने वाले ऋण प्रस्ताव तत्काल निपटा दिए जाने चाहिए; (3) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को समुचित स्वीकृति अधिकार दिए गए हैं, ताकि अधिकांश ऋण आवेदन पत्र शाखा-स्तर पर स्वीकृत किए जा सकें; (4) बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 10,000/- रुपये तक के अल्पवर्षीय एवं दीर्घवर्षीय ऋणों पर कोई मार्जिन न लें; (5) जहाँ चल अस्थिरां सूचित हों वहाँ पर 15,000 रुपये तक के अल्पवर्षीय एवं मीयादी ऋणों के लिये प्रतिपूर्ति नहीं ली जानी चाहिए।

Assistance to States by IFCI

2351. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Industrial Finance Corporation of India has been funding different States for the infrastructural development in the backward areas; and

(b) if so, the names of States which received financial assistance from IFCI during the last three years for the above purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI) has reported that it provides financial assistance to infrastructure projects, including to those set up in backward areas, on the basis of agreed parameters for financing provided such projects are technically feasible, commercially viable and economically justifiable.

(b) IFCI has further reported that during the past three years assistance in this regard has been sanctioned to eight states viz. Jammu & Kashmir, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Sikkim, Tamil Nadu and West Bengal.

Financial Assistance for Handloom Weavers

2352. SHRI O.S. MANIAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state whether Government propose to give financial assistance to handloom weavers, particularly in Tamil Nadu to help them get over the financial crisis during the current years.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KAMAL NATH): The Schemes being implemented by Government of India for the handloom sector are generally not state specific. All State Governments and Union Territories are eligible for assistance under these Schemes. The

weavers of Tamil Nadu can avail assistance under the ongoing Schemes in handloom sector in accordance with the guidelines of the Schemes.

मैथिली भाषा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम

2353. श्री रामदेव धंडारो: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर मैथिली भाषा में प्रसारित होने वाली फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों का ब्यौर क्या है;

(ख) किन-किन दूरदर्शन केंद्रों से मैथिली भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार मैथिली भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण समय में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दूरदर्शन केंद्र दिल्ली और पटना।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

The House then adjourned at four minutes past eleven of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 20th December, 1995.